

आदेश

कार्यवाही विवरण

19/11/22

पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा कोरोना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 23/2/22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.दे.)
नवलगढ़

23/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकील नादी एवं नादी को बार-बार सुन-सुन कर जजप्राख्य समय तक आवाज लगावाई गई, परन्तु इन्हीं और से कोई भी उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि नादी को अपने काद में खर्च नहीं है फलस्वरूप काद नादी को अदम दाखिल व अदम पेशी में खाता किया जाता है। पत्रावली फिलहाल सुमाट घेकर दर्ज नम्बर से कमाये तथा काद तहमील जाहदा दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलक्टर एवं ए.सी.ई.एम.
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(ई.एम.) ए.सी.ई.एम.
नवलगढ़

